

कार्यालय
परिपत्रांक

५१ / अधि०-२

आयुक्त

एवं
दिनांक

निबन्धक,
लखनऊ

सहकारिता
अक्टूबर ०८

उ० प्र०
2015

- समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता, उ०प्र०।
- सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त जिला सहकारी बैंक लि०, उ०प्र०।
- समस्त जिला प्रबन्धक,
पी०सी०एफ०, उ०प्र०।

विषय:- रबी अभियान 2015-16 में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु
समितियों की कैश एण्ड कैरी ऋण सीमा तीन गुनी किये जाने के सम्बन्ध में।

रबी अभियान 2015-16 के पीक सीजन में कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार समय पर उर्वरक आदि कृषि-निवेश उपलब्ध कराने तथा पीक सीजन के पूर्व भी समितियों की भण्डारण क्षमता व आवश्यकता के अनुरूप समितियों के गोदामों में पर्याप्त उर्वरक भण्डारण सुनिश्चित कराने हेतु समितियों की दृष्टिबन्धक कैश एण्ड कैरी ऋण सीमा को तीन गुना किया जाता है।

जिन प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की सहकारी देयों की वसूली कम से कम 80 प्रतिशत है, उनके व्यवसाय बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार रबी अभियान 2015-16 में उनकी उर्वरक दृष्टिबन्धक ऋण सीमा चार गुनी तक निर्धारित की जा सकती है।

उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराते हुए रबी अभियान 2015-16 में कृषकों को उनकी मौग के अनुरूप समय से उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायें।



(किशन सिंह अटोरिया),
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ०प्र०,
लखनऊ।

परिपत्रांक

५१

अधि०-२

दिनांक

उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पी०सी०एफ०, उ०प्र०।
- समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक/संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कौआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०, लखनऊ।
- राज्य विपण प्रबन्धक, इफको, ८-गोखले मार्ग, लखनऊ।
- वरिष्ठ राज्य विपण प्रबन्धक, कृभको, २१-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (कृषि-निवेश), सहकारिता, उ०प्र०।
- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- प्रमुख सचिव, कृषि, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ०प्र० शासन, लखनऊ।



अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(अधि०),
सहकारिता, उ०प्र०,
लखनऊ।